1	विभाग	गन्ना विकास विभाग
2	योजना का नाम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी	योजनान्तर्गत कुल 7 कार्यक्रम संचालित है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है। (क) आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रमः— पौधशालाधारक को बीज वितरण पर अंकन रु. 50/— कु0 की दर से अनुदान देय होता है। (ख) प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रमः— पौधशालाधारक को बीज वितरण पर अंकन रु. 25/— कु0 की दर से अनुदान देय होगा। (ग) क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रमः— क्षेत्र प्रदर्शन हेतु गन्ना फसल का निर्धारित क्षेत्रफल 0.500 हैक्टे0, जिस पर अनुदान अंकन रु0 7500 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल ....0.200 हैक्ट. तथा अनुदान की धनराशि रु0 3000/— देय होगी। (घ) कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रमः— डी.बी.टी. की व्यवस्था लागू है जिसके अर्न्तगत कृषक द्वारा प्रस्तुत कृषि यन्त्र के बिल के मूल्य की 50 प्रतिशत अनुदान की धनराशि प्रदान की जायेगी। मानव चालित यन्त्रों (स्प्रेयर, डस्टर, व हैन्डहो आदि) हेतु अधिकतम रु0 500/— एवं पशुचालित यन्त्रों जैसे (हैरो, कल्टीवेटर व मिटटी पलटने वाला हल आदि) हेतु अधिकतक रु0 2500/— तथा शक्ति चालित उन्नतशील कृषि यन्त्र/ट्रैक्टर चालित यन्त्रों हेतु अधिकतम रु0 30,000/— देय होगा। (ड) माईक्रोन्यूट्रिएंट वितरण कार्यक्रमः— कृषकों को माइक्रोन्यूट्रिएंट के मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम अंकन रु0 500/— हैक्ट. अनुदान देय होगा। (च) उत्पादकता पुरुस्कार कार्यक्रमः— पौधा व पेडी गन्ना में अलग—2 पुरुस्कार दिये जाते है। जिला स्तर पर प्रथम पुरुस्कार हेतु रु0 25,000 व द्वितीय पुरुस्कार हेतु रु0 15,000 तथा राज्य स्तर पर प्रथम पुरुस्कार हेतु रु0 50,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। (छ) किसान गोष्ठी/मेला कार्यक्रमः— शरदकालीन व बसन्तकालीन गन्ना बुवाई से पूर्व विकास खण्डों में किसान मेला/गोष्ठी का आयोजन कराकर कृषकों को नवीनतम तकनीकि की जानकारी प्रदान की जायेगी।
4	पात्रता की अर्हता	1— कृषक गन्ना समिति का वैधानिक सदस्य एवं गन्ने की खेती करता हो 2— कृषक चीनी मिल को विगत 3 वर्षो से गन्ने की आपूर्ति करता हो। 3— कृषक पर गन्ना समिति का एक वर्ष से अधिक पुराना बकाया न हो। 4— कृषि यन्त्र एवं क्षेत्र प्रदर्शन हेतु एक कृषक को एक मद में 3 वर्ष में एक बार से अधिक लाभान्वित नही किया जायेगा। 5—कृषि यन्त्र एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट वितरण कार्यक्रम हेतु कृषि विभाग के डाटाबेस पर पंजीकृत कृषक को ही चयनित किया जायेगा। नोटः— **" पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर उपलब्ध मात्रा ", अनुदान के धनराशि की सीमा तक ही देय है।**
5	आवेदन की प्रक्रिया	**डी.बी.टी. व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।**
6	लिंक वेबसाईट	**http://www.upagriculture.com/Registration_page.html**
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी अथवा उप गन्ना आयुक्त, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।